

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / कोविड-19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1738

भोपाल, दिनांक 08 / 10 / 2020

प्रति,

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र।


विषयः— 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव 2020 में मतदाताओं के तापमान का परीक्षण के संबंध में।

संदर्भः— कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र का पत्र क्र. 15/09/स्वी./उपचु./2020/6001-6002  
दिनांक 05/10/2020

विषयांतर्गत लेख है कि मतदान दिवस पर मतदाताओं का मतदान पूर्व टेम्परेचर गन के द्वारा तापमान की जांच के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः—

- नॉन कॉन्टेक्ट इन्फ्रारेड थर्मोमीटर (NCIT) अथवा टेम्परेचर गन द्वारा नापे जाने पर सामान्य शारीरिक तापमान  $36.1^{\circ}\text{C}$  से  $37.2^{\circ}\text{C}$  अथवा  $97^{\circ}\text{F}$  से  $99^{\circ}\text{F}$  के मध्य रिकॉर्ड होता है।  
(Ref: USFDA guidelines on use of NCITs: <https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers>)
- अतएव, नॉन कॉन्टेक्ट इन्फ्रारेड थर्मोमीटर पद्धति से यदि शारीरिक तापमान  $37.2^{\circ}\text{C}$  अथवा  $99^{\circ}\text{F}$  से अधिक पाया जाता है तो, ऐसे मतदाता के तापमान की 10 मिनट बाद पुनः पुष्टि की जाये।
- पुनः पुष्टि करने के बाद भी तापमान अधिक बने रहने पर ऐसे मतदाता को मतदान के लिए नियत अंतिम घंटे में मतदान के लिए आने की सलाह दी जाये।

कृपया उपरोक्त अनुसार अवगत होना चाहेंगे।

  
(डॉ. संजय गोयल)  
आयुक्त स्वास्थ्य,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड-19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1739

भोपाल, दिनांक 08/10/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई-दिल्ली 110001।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र शासन, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग / चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
4. संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी एवं संचालनालयीन चुनाव नोडल अधिकारी, म.प्र।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, अनूपपुर, रायसेन, राजगढ़, आगर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, इंदौर, मंदसौर, म.प्र।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, अनूपपुर, रायसेन, राजगढ़, आगर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, इंदौर, मंदसौर, म.प्र।
7. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

O/C   
आयुक्त स्वास्थ्य,  
मध्यप्रदेश